न्यायालय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), बिधूना, औरैया।
मूलवाद संख्या–216/2006
CNR.No.UPAU

प्रेम सिंह आदि बनाम सतीशचन्द्र।

दिनांकः–30.08.2025

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज सं0–81क

1. पत्रावली पेश हुयी। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। पत्रावली पर प्रार्थना पत्र 81क निस्तारण हेतु लम्बित है। उभयपक्षों को उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर सुना, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक आपत्ति प्रस्तुत की गयी। मेरे द्वारा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

2. प्रार्थना पत्र कागज सं0–81क इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि वादी के द्वारा न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में प्रार्थना पत्र 61क स्वीकृत होने के पश्चात वादपत्र में संशोधन किये गये थे, परन्तु भूलवश संशोधन का एक छोटा भाग वादपत्र में सम्मिलित होने से छूट गया था, प्रार्थी/वादी के कथनानुसार उस संशोधन को भी वादपत्र में सम्मिलित किया जाना अति आवश्यक है। प्रतिवादी के द्वारा मौखिक आपत्ति में कथन किया गया कि वादी के द्वारा सिर्फ मामले को लम्बित करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं इस मामले में प्रतिवादी के द्वारा अतिरिक्त उत्तरपत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है। अगर अब इस स्तर पर वादी को संशोधन करने की अनुमति दी जाती है, तो वह कानून के विरूद्ध होगी।

3. पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थना पत्र 61क को न्यायालय द्वारा पूर्णतः स्वीकृत किया गया था। प्रार्थना पत्र 61क से वादी के द्वारा कुल 4 संशोधन वादपत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रार्थना की गयी थी। उक्त सभी संशोधन अलग–अलग पढ़े जा सकते थे। वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र 61क में याचित संशोधनों में से प्रार्थना पत्र 61क की धारा 1, 2 व 4 के संशोधन तो वादपत्र में कर दिये गये, परन्तु उपरोक्त प्रार्थना पत्र की धारा 3 में याचित संशोधन वादपत्र में नहीं किया गया। अब उसी संशोधन को किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र 81क प्रस्तुत किया गया है।

4. प्रार्थी/वादी के द्वारा जो संशोधन शामिल पत्रावली नहीं किया गया था, वह इस प्रकार था कि :

> वादपत्र की धारा 10 में अन्तिम पंक्तियों में लिख दिया जाये कि, ''दौरान वाद बनाने कमरा व चबूतरा की अनुमती कीमत 1000/–रूपया कायम किया जाता है।''

5. आदेश 6 नियम 18 सिविल प्रकिया संहिता 1908 के अनुसार यदि कोई पक्षकार संशोधन की इजाजत प्राप्त करने के उपरान्त न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर या फिर इजाजत आदेश के 14 दिन के भीतर तद्नुसार, संशोधन नहीं करता है तो, उसे, यथास्थिति, यथापूर्वोक्त परिसीमित समय के या ऐसे चौदह दिन के आवसन के पश्चात्

संशोधन करने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय द्वारा समय न बढ़ाया जाए।

6. प्रार्थी/वादी द्वारा जिस संशोधन को अब वादपत्र में सम्मिलित करने की याचना की गयी है, वह इस वाद के मूल्यांकन एवं न्यायशुल्क से सम्बन्धित है। मूल्यांकन एवं न्यायशुल्क किसी भी वाद को संस्थित करने के उपरान्त एक ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसके सन्तोषजनक पाये जाने के बाद भी वाद प्रचलित रह सकता है। अतः जो संशोधन विलम्ब से किये जाने की अनुमति चाही गयी है, वह इस वाद का एक आवश्यक तथ्य है।

7. परन्तु प्रार्थी/वादी के द्वारा यह आवश्यक तथ्य विधि के द्वारा नियत समय में पत्रावली में शामिल नहीं किया गया एवं जो संशोधन किये गये उनके अनुक्रम में प्रतिवादी के द्वारा अतिरिक्त उत्तरपत्र दाखिल कर दिया गया है।

8. यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी वाद को सिर्फ प्रक्रियात्मक जटिलताओं के चलते नहीं निरस्त करना चाहिए अपितु अगर समय रहते उभयपक्षों के हितों के सन्तुलन के पश्चात अगर प्रक्रियात्मक त्रुटि का सुधार किया जा सकता हो तो उस सुधार का मौका पक्षकार को आवश्य दिया जाना चाहिए। इस वाद में चूंकि मूल्यांकन एक आवश्यक तथ्य है जिसके बिना वाद का समग्र निस्तारण सम्भव नहीं है, एवं प्रतिवादी को होने वाली प्रक्रियात्मक क्षति की क्षतिपूर्ति हर्जे से कि जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र 81क हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र कागज सं0–81क मुवलिग 200/–रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वादी वांछित संशोधन अन्दर तीन दिवस करना सुनिश्चित करे। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त पत्र हेतु दिनांक 04.09.2025 को पेश हो।

(कुशाग्र मिश्रा)
अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन),
बिधूना, औरैया।
J.O. Code : UP4693